समाहरणालय, जमुई
(जिला योजना कार्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जमुई जिला अंतर्गत भिन्न–भिन्न स्थलों पर फोर आर्मस सौर स्ट्रीट लाईट एल0ई0डी लाईट संयत्रं अधिष्ठापन हेतु माननीय स0वि0स0 श्री विजय प्रकाश, जमुई विधानसभा के द्वारा अनुशंसा के क्रम में आपूर्ति सह अधिष्ठापन हेतु निर्माता कम्पनी ब्रेडा, ब्रेडा द्वारा प्राधिकृत फर्म सहित प्रमाणित फर्मों एवं ख्याति प्राप्त एजेन्सी से निविदा आमंत्रित की जाती है। तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड पृथक–पृथक लिफाफे में निबंधित स्पीड पोस्ट के द्वारा अथवा स्वयं दिनांक–21.08.2019 को 1:00 बजे अप0 तक जिला योजना कार्यालय, जमुई में जमा कर सकते है। उसी दिन 3:00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त, जमुई की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत व्यक्ति ही भाग ले सकते है। सोलर लाईट का Specification निम्न प्रकार है।

फोर आर्म्स सोलर लाईट सिस्टम का विशिष्टियॉ एवं विन्यास
1. सोलर प्लेट :– 150 wp x4 under STC. Warranted for a minimum period of 25 years from the date of supply.
2. सोलर बैट्री :– Make life (PO4)/Gel Battary 12V 100A/H x 4
3. Warranted for a minimum period of 05 years from the date of supply.
4. चार्ज कन्ट्रोलरर यूनिट :– 10 AMPS with efficiency 85%
5. लैम्प/लोड :– L.E.D of 30 watt x 4
6. ल्युमिनेरियस हाउसिंग :– Weather proof with high illuminative acrylic & reflecto.
7. एल्युमिनेशन :– 3600 Lumens.
8. केबल :– 4 sq mm as required.
9. पोल :– G.I. 7 meters.
10. बैट्री बॉक्स :– Galvanized MS with lock facility.
11. मॉडयूल माउण्टिंग स्ट्रेक्चर :– Galvanized MS configure to Mount Modules.
12. हार्डवेयर एसोसिरिज :– As per the configuration made.
13. डयूटी साईकिल :– Dust to dawn.
14. ऑटोनोमी :– 03 days of minimum 42 opedrating hours per permissible discharge.

तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 लाईट का पूर्व से निर्गत टेस्ट रिपोर्ट देना होगा।
2. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 का चेनल पार्टनर होने का पूर्व से निर्गत प्रमाण–पत्र देना होगा।
3. निर्माता कम्पनी को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कम्पनी होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।
4. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का सलाना टर्न ओभर दो करोड़ रूपये का होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता के पास कम से कम तीन वर्षों का अंकेक्षित बैलंस शीट होनी चाहिए।
6. निविदादाता को पिछले तीन वर्षों पूर्व का वाणिज्यकर विभाग, बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है एवं पैन कार्ड एवं वैट से संबंधित निबंधन प्रमाण–पत्र देना होगा।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदादाता को इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
9. तकनीकी निविदा में 100000 (एक लाख) रूपये का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से संलग्न करना होगा।

10. निर्माता कम्पनी को आई0एस0ओ0 9001–2015 एवं आई0एस0ओ 14001–2015 होने का प्रमाण पत्र देना होगा। जिसमें सोलर स्ट्रीट लाईट का जिक्र होना अनिवार्य होगा।
11. निर्माता कम्पनी के साथ उनके अधिकृत विक्रेता भी निविदा में भाग ले सकते है।
12. निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
13. निविदादाता को बिहार सरकार का जी0एस0टी0 का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
14. निविदादाता एवं निर्माता कम्पनी को लघुउधोग का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
15. निविदादाता को तीन वर्षो का सोलर लाईट अधिष्ठापन का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
16. निविदादाता को तीन वर्ष (2016–17, 2017–18, 2018–19) का आयकर रिर्टन एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र के साथ पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. वित्तीय निविदा में क्रियान्वयन की जानेवाली योजना का स्पेशिफिकेशन एवं प्रति ईकाई दर आपूर्ति/अधिष्ठापन कर सहित देना होगा। निविदादाता जिस कम्पनी का सामग्री देंगे उसका MRP अंकित कैटलग भी संलग्न करेंगे अथवा निविदा खुलने पर जिला क्रय समिति के समक्ष दिखाना सुनिश्चित करेंगे।

अन्य शर्तें :–

1. सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम पर अधिष्ठापन की तिथि से सोलर प्लेट–25 वर्ष, बैटरी एवं अन्य उपकरण की 05 वर्ष की गारंटी होनी चाहिए। इस अवधि में नियमित रख रखाव व जाँच का पूर्ण दायित्व आपूर्तिकर्त्ता का होगा।
2. आपूर्ति किये जानेवाले सिस्टम की फिटिंग/ढुलाई आदि का अलग से कोई खर्च नही दी जायेगी।
3. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र जमुई होगा।
4. तकनीकी निविदा के जाँचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
5. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफा एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा लिफाफा अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे पर रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
6. क्रय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा, ससमय अधिष्ठापन/जाँच/गुणवता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।
7. विभागीय मागदर्शन के आलोक में अधिष्ठापन प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त 90 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा एवं 10 प्रतिशत राशि 05 वर्ष की गारंटी अवधि समाप्ति पर कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
8. राशि का भुगतान जिला योजना पदाधिकारी, जमुई के स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यपालक अभियंत्रा, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जायेगा।

उक्त सामग्री नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत मानक एवं मापदंड का होना अनिवार्य है।

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी वेवसाईट http://jamui.nic.in एवं www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

जिला योजना पदाधिकारी,
जमुई